920
31/12/16

(1)

199

विलो

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-3-I-17

श्री मती रजनी वकील द्वारा आज दि. 31/12/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सहदेवसिंह तनय प्रतापसिंह आयु 66 वर्ष निवासी ग्राम ढिमरपुरा (आजादपुरा) तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र.

–पुनरीक्षणकर्ता

बनाम,

1–म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय म.प्र. (अधोसंरचना विकास)

2–म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल म.प्र.

––उत्तरवादी

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता प्रतिकूल आदेश 28.07.2016 प्रकरण कमांक 147/वी–121/2015–16 अधिनस्थ विद्वान कलेक्टर महोदय टीकमगढ म.प्र. जिन्होने पुनरीक्षणकर्ता के कब्जे की भूमि उपरोक्त उत्तरवादी कमांक 1 को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।

महोदय,

पुनरीक्षण के आधार व कारण निम्न प्रकार है–

1– यह कि भूमि खसरा क. 37/7 रकवा एकत्र 26.191 हेक्टेयर स्थित ग्राम बबेडी जंगल वर्तमान तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र. मे पठार के रूप मे दर्ज थी जिसके एक रकवा 2.189 हेक्टेयर पर आज से लगभग 47–48 साल पहले कृषि कार्य करने के लिए आधिपत्य किया था उपरोक्त खसरा कमांक के वर्ष 86–87 मे दर्ज स्थिति के संबंध मे खसरा अभिलेख की प्रमाणित प्रति अनुलग्न– 1 के रूप मे संलग्न की जा रही है। एवं कब्जे के संबंध मे उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक नजरी मानचित्र अनुलग्न– 2 पेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 03–एक/17 जिला–टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
14-2-17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 147/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा कमांक 37/7 रकवा एकत्र 26.191 हैक्टेयर स्थित ग्राम बबेड़ी जंगल वर्तमान तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ में पठार के रूप मे दर्ज थी जिसके एक रकवा 2.189 हैक्टेयर पर आज से लगभग 47–48 साल पहले कृषि कार्य करने के लिये आधिपत्य किया था। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु जिला टीकमगढ़ अंतर्गत म0प्र0 शासन उद्योग संचालनालय म0प्र0 द्वारा जारी ज्ञापन कमांक 40/अधोविक/भूअ/(स–1)/2016/2984 भोपाल दिनांक 6.04.2016 अनुसार जिला टीकमगढ़ अंतर्गत तहसील ओरछा के ग्राम बबेड़ी जंगल स्थित भूमि खसरा नम्बर 37/7/1 रकवा 22.144 हैक्टेयर शासकीय भूमि का हस्तांतरण करने बावत् प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिस पर से तहसीलदार ओरछा एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त भूमि हस्तांतरण करने की सहमति	

कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को दी । जिसके आधार पर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 28.07.2016 द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति दी जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत में धारा 5 म्याद अधिनियम एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आवेदक को इसकी जानकारी दिनांक 21.11.16 मिली जैसे ही नकल प्राप्त अधिवक्ता से संपर्क कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जिसे अंदर म्याद मानी जाकर आदेश धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावे। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि खसरा नम्बर 37/7 रकवा एकत्र 26.191 हैक्टेयर के अंश भाग रकवा 2.189 है0 पर आवेदक का आज भी कृषि कार्य कर रहा है जिसकी लगान आदि आवेदक द्वार दिया जा रहा है इसकी रशीद संलग्न है। खसरा पंचशाला 1986–87 कोलम 12 कैफियत में आवेदक का नाम अंकित है। आवेदक द्वारा बंजर भूमि से कृषि योग्य बनाने के लिये काफी धन एवं श्रम व्यय किया है तथा उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु कुआ/बाबड़ी भी बनाया गया है। जो वर्तमान में मौके पर मौजूद है। आवेदक द्वारा व्यवस्थापन की अनुमति के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुलग्न 13 पर संलग्न है। उसके बावजूद भी व्यवस्थापन भी नहीं किया गया जिसकी रशीदें 14 से 18 संलग्न है। वर्ष 1976–77 की रशीदें संलग्न हैं जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक कब्जा वर्ष 1977–78 से पूर्व का है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि न्यायालय

आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 47/अ–59/95–96 में पारित आदेश दिनांक 09.02.98 पक्षकार नारायण तनय रामचरण अहिरवार निवासी जिजौरा विरूद्व म0प्र0 शासन में उसी रकवा की भूमि में से कलेक्टर के प्रकरण कमांक 10/अ–59/93–94 में पारित आदेश दिनांक 03.04.95 के अनुसार विवादित भूमि में से 5 एकड़ की नवैयत परिवर्तन कर व्यवस्थापित करने के आदेश किये गये थे। उसकी भांति ही उपरोक्त कब्जे की भूमि का व्यवस्थापन पाने का पात्र है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि वादग्रस्त भूमि नजूल भूमि नहीं है जैसा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 1 में दर्शित है कि इसके अलावा उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता म0प्र0 दखल रहित कृषि भूमियों का अधिकारों का प्रदान किया जाना 1984 के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1984 या उसके पूर्व कोई भी यदि भूमिहीन व्यक्ति कब्जे में धारण करता है तो वह भूमि स्वामी है इस अधिनियम के पूर्व भी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से आवेदक व्यवस्थापन पाने का पात्र था लेकिन उसे बाबजूद आवेदनों के विवादित भूमियों का व्यवस्थापन नहीं किया गया । अतं में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला टीकमगढ का आदेश दिनांक 28.7.2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4–शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित होकर उनके द्वारा तर्क किया गया है कि कलेक्टर जिला टीकमगढ का आदेश विधि प्रावधानों के अनुसार सही है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता

नहीं है। इसलिये कलेक्टर जिला टीकमगढ का आदेश स्थिर रखा जावे।

6— उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया जो उनके द्वारा अपनी निगरानी में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों में का अवलोकन किया तथा परिशीलन करने पर पाया गया है कि आवेदक द्वारा पंचशाला खसरा वर्ष 1986—87 का प्रस्तुत किया है जिसका कोलम नं0 12 में उसका नाम अंकित है। आवेदक द्वारा प्रकरण में संलग्न 14 से 18 तक के रशीदें संलग्न की है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक का कब्जा 1977 से पूर्व का है। आवेदक विवादित भूमि पर लगभग 47—48 साल से कब्जा है विवादित भूमि पठार थी जिसे उसने मेहनत करके भूमि को कृषि योग्य बनाया। विवादित भूमि पर कब्जे के कारण कई बार जर्माना भी हुआ जिसकी रशीदें संलग्न हैं। आवेदक के पास इसके अलावा और कोई भूमि नहीं है अगर उपरोक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिये दी जाती है तो आवेदक का परिवार कृषि की भूमि विहीन हो जायेगा। जिससे उसे परिवार के पालन पोषंण में कठिनाई आयेगी। आवेदक अधिवक्ता ने मेरा ध्यान आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 47/अ—59/95—96 में पारित आदेश दिनांक 09.02.98 पक्षकार नारायण तनय रामचरण अहिरवार निवासी जिजौरा विरूद्व म0प्र0 शासन में उसी रकवा की भूमि में से कलेक्टर के प्रकरण कमांक 10/अ—59/93—94 में पारित आदेश दिनांक 03.04.95 का निरस्त कर विवादित भूमि में से 5 एकड़ की नवैयत

परिवर्तन कर व्यवथापित करने के आदेश किये गये थे।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक एक निर्धन भूमिहीन कृषि श्रमिक होने से उसके पक्ष में विवादित भूमि का व्यवस्थापन करना न्यायोचित होगा। अतः कलेक्टर टीकमगढ़ का आलोच्य आदेश दिनांक 28.7.16 निरस्त किया जाता है। आवेदक की निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है । प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विवादित भूमि पठार खसरा कमांक 37/7 रकवा 26.191 है0 में से 2.189 है0 का (यदि उसके पास पूर्व से कोई भूमि न हो तो) नवैयत परिवर्तन कर आवेदक के हक में व्यवस्थापित करने की कार्यवाही की जाय।

सदस्य